were 83 kidnaps. And 302 Government buildings were blasted, 486 public buses were burnt and 252 railway stations were destroyed. They also seized weapons from the police—about 330 .303 rifles, 13 single-loading pistols, three sten guns, 3000 odd cartridges and many AK-47 rifles, as per the report given recently in 'The Hindu' on 20th November, 1996. In an incident on 18th November, a van was blasted where a DSP and his wife died on the spot and two jawans also died along with them. On 15th November, a police station was blasted where 13 police people were killed and one sub-inspector was also shot dead.

On 7th October, 1996, there was again another van blast when seven police people and officers were killed on the spot. In a recent resolution, the P.W.G. group had three points to make. One is, to declare liberated guerrilla zones in Andhra Pradesh, comprising about five districts in the northern part. The second is to declare the peoples army and the third point is that all powers should be given to the village committees, headed by their lackeys. There is also a nexus among the Punjab, J&K, LTTE and North-Eastern terrorists from where they are getting these sophisticated arms and the people say, and sometimes the government officers also concede, that the P.W.G. has got more sophisticated arms than what the Andhra Pradesh Government police has got. This problem has been blown up into a national terrorist problem in another part of our country. All our development plans are going haywire. All the departments and the officers are withdrawing from their areas of operations because of the fear. The State Government, on its own, cannot tackle this problem because of a number of constraints. There is a need for inter-State coordination to tackle this problem, and it is in the larger interest that I request the Central Government to give all sorts of assistances—a multi-sided assitance—to the Government of Andhra Pradesh to contain this menace to terrorism, in the name of naxalism. Thank you.

RE: URGENT NEED FOR CONSTITUTION OF SEPARATE UTTARANCHAL STATE

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया। मैं उत्तरांचल की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने पिछली 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उत्तरांचल पृथक राज्य बनाने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश की दो सरकारों ने श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने 12 अगस्त, 1991 को और उसी रास्ते पर श्री मुलायम सिंह जी की सरकार ने भी केन्द्र को प्रस्ताव बना कर भेजे थे। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है और उसका पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह से विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला है। जहां तक क्षेत्रवाद की बात है बाकी क्षेत्रों की तुलना इस मध्य हिमालय से नहीं की जा सकती है। इसका पूरे देश से पूरी तरह से समरस भाव है। इस क्षेत्र के लोग दिल्ली और पूरे देश में करीब आधी जनसंख्या में रहते हैं। महोदया, उस क्षेत्र में एक ऐसा आन्दोलन हुआ है जो पूरे प्रजातंत्र के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे संसार के लिए एक प्रकार का आकर्षण और एक प्रकार की सीख का प्रतीक बन सकता है। एक ऐसा आन्दोलन जिसने पूरे के पूरे क्षेत्र में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के शासन को पंगु कर दिया था, लुंज कर दिया था, शासन की संस्था कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी, इसके बाद भी कहीं कोई घृणा का नामोनिशान नहीं था, कहीं पहाड़ और मैदान की घृणा नहीं थी। किसी के प्रति हथियार का प्रयोग नहीं हुआ। पंजाब के लोगों ने बदला लेने के लिए हथियार का उपयोग किया। पहाड़ के लोगों ने बदला लेने के लिए वोट का प्रयोग किया। पहाड़ के लोगों की भावनाओं को आहत किया गया था। उनकी मां-बहनों के साथ सरे-आम शासन की सहभागिता से अत्याचार हुए थे। वहां के लोग आहत हैं। वे प्रधानमंत्री की घोषणा से अब विचलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही वहां विधान सभा के चुनाव होंगे, विधानसभा चुनावों के बाद वहां के जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उनके सहयोग से वहां के लिए राज्य बना दिया जाएगा और जो चुने हुए लोग होंगे उनमें से उनका मुख्य मंत्री बनाया जाएगा। यह दुर्भाग्य है कि उत्तरांचल में ही प्रधानमंत्री जी के 40-40 सभाएं होने के

बाद भी उत्तर प्रदेश ने उनके दल को वैसा समर्थन नहीं दिया जैसा वह चाह रहे होंगे। लेकिन वे देश के प्रधान मंत्री हैं और प्रधान मंत्री होने के नाते, देश के नेता होने के नाते लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करना चाहिए। पिछला सत्र निकल गया। उत्तरांचल के लोग आशा भरी निगाहों से देखते रहे कि उनके लिए विधेयक आएगा, अलग राज्य का विधेयक आएगा। लेकिन वह विधेयक आया नहीं। सत्र बीत गया, और इस सत्र की जो सूची है उसमें शायद उत्तरांचल पर विधेयक की बात नहीं है, उत्तराखंड पर विधेयक की बात नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि प्रधान मंत्री जी ज्यादा लोगों का इम्तिहान न लें और इसी सत्र में ईमानदारी का पालन करते हुए राजनीतिक नैतिकता का पालन करते हुए, अगर उनको राज्य बनाना है, तो यह विधेयक प्रस्तुत करें और भा०ज०पा० की पूरी शक्ति उनको समर्थन करे और इसके आधार पर एक ऐसे अशांत क्षेत्र को जो देश की सुरक्षा में अग्रणी है, जो एक हजार वर्ष से देश की सुरक्षा में अग्रणी रहा है जहां का आदमी..**(समय की घंटी)** पूरी तरह से राष्ट्रीय भाव ने ओत प्रोत है ..**(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): यह एक गंभीर मुद्दा है। आप कम से कम सरकार से कहिए कि इस मामले में—क्योंकि प्रधान मंत्री की घोषणा है 15 अगस्त को उत्तरांचल राज्य बनाने के बारे में—सरकार कुछ तो बताए कि इस सत्र में पास करेंगे कि नहीं।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: यह ठीक है कि प्रधान मंत्री जी वैसे एक दल के नेता नहीं हैं जैसे प्रधान मंत्री हुआ करते हैं। वे 15-16, 12-13 दलों की खिचड़ी सरकार के प्रधान मंत्री है। उनमें ऐसे भी लोग हैं जो किसी कारण से अपने प्रदेशों की समस्या के कारण—मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता—उसका विरोध कर रहे हैं लेकिन उन्हें याद करना चाहिए कि पी०सी० जोशी जैसे व्यक्ति ने जो उनके पूर्ववर्ती थे, उनके नेता थे, जब ये दल विभक्त नहीं हुए थे, बंटे नहीं थे, उसका समर्थन किया था-इस राज्य का, 1952 में। यह जो कांग्रेस पार्टी है, नेहरू जी ने 1937 में श्रीनगर की सभा में कहा था, जब देश आजाद नहीं हुआ था।

उपसभापति: दूसरे नाम लिखे हैं। जीरो आवर का समय खत्म हो गया है।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: चलिए।

उपसभापति: नहीं, आप कंक्लूड कर दीजिए। जो आपको मांगना है, प्रधान मंत्री जी से बोल दीजिए।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: तो नेहरू जी ने भी उसका समर्थन किया था। इस प्रकार से यह देश की एक ऐसी जायज मांग है जिसको न काश्मीर के साथ जोड़ा जा सकता है, न पंजाब के साथ जोड़ा जा सकता है, न मिजोरम के साथ जोड़ा जा सकता है, न नागालैंड के साथ जोड़ा जा सकता है और न गोरखालैंड के साथ जोड़ा जा सकता है। कोई प्रदेश अपने भाग के स्वयं विभाजन करने का संकल्प पारित नहीं करता लेकिन यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की दो दो सरकारों ने इसके विभाजन का प्रस्ताव पारित किया क्योंकि वहां के लोग पूरी तरह से राष्ट्रवादी हैं, पूरी तरह से देशभक्त हैं, देश की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में लगे हुए लोग हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इसी सत्र में उत्तरांचल का विधेयक प्रस्तुत करे और उसे पारित कराए।

डा० नौनिहाल सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं अपने को इससे एसोसिएट करता हूं।

RE: CHINESE PRESIDENT'S VISIT TO INDIA

डा० महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): धन्यवाद, उपसभापति महोदया।

मैं इस गरिमा सम्पन्न सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे देश में एक ऐसे मेहमान आए है जो एक प्रकार के इतिहास का निर्माण करने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति महामहिम जियांग झेमिन आज भारत की यात्रा पर आए हैं। हम सब भारत के लोग विश्व की इस प्राचीन संस्कृति के महान देश के नायक का यहां स्वागत करना चाहते है। हम इस बात को जानत है कि आज जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ईरान, भारत और चीन की मैत्री का विशेष महत्व है। जब आज विश्व सोवियत संघ के विघटन के बाद एक महाशक्ति के इर्दगिर्द घूम रहा है, वैसी विश्व व्यवस्था में चीन और भारत की मैत्री का विशेष महत्व है।

उपसभापति महोदया, अपने इस मेहमान का स्वागत करते हुए मैं इस बात को भूल नहीं सकता कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। महोदया, जब हम चीन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोस्त वह होता है जो मुंह के सामने खरी-खरी बात कहता है और पीठ के पीछे प्रशंसा करता है। जो मुंह के सामने प्रशंसा करते हैं वे